कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

पत्रांक-817

सेवा में,

सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी,
सभी प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक,
जिला-वैशाली।

हाजीपुर, दिनांक-24/04/26

विषयः- शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु नामांकन अभियान की सुस्त प्रगति की समीक्षा एवं 'युद्ध स्तर' पर नामांकन सुनिश्चित करने के संबंध में।

प्रसंगः- कार्यालय पत्रांक-735 दिनांक-09.04.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि विभाग द्वारा दिनांक 01 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक विशेष नामांकन अभियान (प्रवेशोत्सव) चलाया जा रहा है। आज मुख्यालय के द्वारा आहूत बैठक में नामांकन अभियान की समीक्षा की गई। अत्यंत खेद का विषय है कि समीक्षा में यह पाया गया है कि जिले के कई विद्यालयों में नए नामांकन की संख्या अत्यंत कम और असंतोषजनक है। यह स्थिति शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुपालन में शिथिलता को दर्शाती है।

अतः इस अभियान को शेष अवधि में **'युद्ध स्तर'** पर सफल बनाने हेतु निम्नलिखित कड़े दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं-

1. डोर-टू-डोर सर्वे और गृह भ्रमण- प्रत्येक प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय के शिक्षकों के बीच वार्डवार/पोषक क्षेत्र का स्पष्ट विभाजन करें।

2. शिक्षक प्रतिदिन अनिवार्य रूप से घर-घर जाकर 6 से 14 वर्ष के अनामांकित बच्चों की पहचान करेंगे और उनका नामांकन सुनिश्चित करेंगे।

3. आंगनबाड़ी से समन्वय- वैसे बच्चे जो 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या अगले 6 माह (30 सितंबर 2026) तक पूरी कर लेंगे, उनकी सूची आंगनबाड़ी सेविका से प्राप्त कर उन्हें कक्षा-1 में अनिवार्य रूप से नामांकित करें।

4. वंचित टोलों पर विशेष ध्यान- शिक्षा सेवक और तालमी मरकज विशेष रूप से महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक बस्तियों का भ्रमण करेंगे ताकि कोई भी बच्चा मुख्यधारा से वंचित नही रहे।

Digitally signed by RABINDRA KUMAR SAH
Date: 2026.04.24 17:12:57 +05'30'

5. दस्तावेज की बाध्यता नहीं- किसी भी परिस्थिति में दस्तावेजों (आधार, जन्म प्रमाण पत्र आदि) की कमी के कारण नामांकन नहीं रोका जाएगा। ऐसे बच्चों का अस्थायी नामांकन तुरंत किया जाए।

6. दैनिक रिपोर्टिंग और अनुश्रवण- सभी CRCC प्रतिदिन शाम 5:00 बजे तक अपने संकुल का समेकित प्रतिवेदन व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करेंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी प्रतिदिन प्रखंड स्तर पर प्रधानाध्यापक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नामांकन अभियान पर समीक्षा करेंगे।

यह निर्देश दिया जाता है कि इस अभियान को एक जन-आंदोलन के रूप में लें। अभियान की समाप्ति पर प्रत्येक प्रधानाध्यापक को यह प्रमाण-पत्र देना होगा कि उनके पोषक क्षेत्र में कोई भी बच्चा अनामांकित नहीं बचा है। किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित शिक्षक/प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

Digitally signed by RABINDRA KUMAR SAH
Date: 2026.04.24 17:12:23 +05'30'

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांकः-817 हाजीपुर दिनांकः-24/04/26

प्रतिलिपिः-सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-क्षेत्रीय उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः-जिला पदाधिकारी, वैशाली की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

Digitally signed by RABINDRA KUMAR SAH
Date: 2026.04.24 17:12:42 +05'30'

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।